कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव।
पत्रांक 2559/ 14–1(रजापुर) दिनांक, उन्नाव, जनवरी, 2017,

30/1/17

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–1,
लोक निर्माण विभाग,
उन्नाव।

विषय :– जनपद–उन्नाव में तहसील हसनगंज के ग्राम रजापुर वन ब्लाक की 0.064 हे0 आरक्षित वन भूमि पर रजापुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–2300/14–2–2016–800(87)/2016 दिनांक 29–12–2016,

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी, आपको व अन्य को पृष्ठांकित है, की छाया प्रति **संलग्नक–**

1 के रूप में संलग्न है, जिसमें उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद–उन्नाव में तहसील–हसनगंज के ग्राम रजापुर वन ब्लाक की 0.064 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुपालन आख्या चाही गयी है। अवगत कराना है कि अनुपालन आख्या पूर्ण होने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अतः उपरोक्त के क्रम में बिन्दुवार चाही गयी आख्या निम्न प्रकार है :–

शर्त संख्या	उ0प्र0 शासन की शर्तें	अनुपालन हेतु कार्यवाही
1	2	3
1	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0–सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रांधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	परियोजना हेतु प्रभावित 0.064 हें0 वन भूमि है। जिसका वर्तमान मूल्य 6,26,000 प्रति हे0 की दर से रू0 40064.00 का व्यय प्रस्तावित है।,याचक विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना आपेक्षित है।
2	प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।	रजापुर वन ब्लाक में 100 वृक्षो का रोपड़ एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 185,400.00 की धनराशि प्रस्तावित है।,याचक विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना आपेक्षित है।
3	प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।	प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थान पर 16 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपड़ एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 67500.00 की धनराशि प्रस्तावित है।,याचक विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना आपेक्षित है।
4	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा आपेक्षित ।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	याचक विभाग द्वारा आपेक्षित ।

6	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
7	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	–
8	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फोंना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फोंना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
9	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करान होग।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
10	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
11	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
12	भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र संख्या– J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने , यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
13	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–सयम पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
14	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।	–
15	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
16	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।	–
17	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	–

18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
19	इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 13–02–2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
20	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफसी, दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	याचक विभाग से आपेक्षित।
21	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।	याचक विभाग से आपेक्षित।
22	भारत सरकार के परिपत्र संख्या–11–98–एफसी, दिनांक 13–02–2014 के शर्त संख्या–(Xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।	याचक विभाग से वचन बद्वता प्रमाण–पत्र आपेक्षित।
23	उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।	

भवदीय,

(वी0के0मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव विभाग,उन्नाव

पत्रांक /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, हसनगंज को प्रेषित कि विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(वी0के0मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव विभाग,उन्नाव